न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./2005/1404/भीलवाड़ा.

1– हीरा उर्फ हीरालाल पुत्र काशीराम,
2– श्रीमति मगनी बेवा रामचन्द्र,
दोनों जाट निवासीगण हरनीकला, तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– राजस्थान सरकार।
2– शंकरलाल पुत्र चुना जाति खटीक निवासी पंचमुखी हनुमानजी के पास, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ

डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

उपस्थितः

श्री योगेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, विद्वान अति. राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 01.
श्री माधवराज सिंह, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 02.

निर्णय

दिनांकः 06/12/2024.

1– हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 292/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02–12–2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने विरूद्ध प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण के न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय),

भीलवाड़ा के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि ग्राम हलेड तहसील भीलवाड़ा स्थित विवादित भूमि खसरा संख्या साबिक 1171/1 व 1171/2 कुल रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा के खातेदार काशीराम पुत्र सवाईरामजी जाट थे, जिनके स्वर्गवास के पश्चात् अपीलार्थीगण के पिता पर उक्त भूमि धारित हुई। उक्त साबिक खसरा के हाल खसरा संख्या 2131 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 2138 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 2527/2130 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 2528/2128 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 2529/2140 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा व खसरा संख्या 2139 रकबा 1 बीघा कुल रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा हाल जरीब के अनुसार कायम हुए। खसरा संख्या 2131, 2138, 2527/2130, 2528/2128, 2529/2140 व 2139 संपूर्ण रकबा का पर्चा लगान तो अपीलार्थी को मिल गया एवं राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी के नाम दर्ज है, किन्तु खसरा संख्या 2139 का 1 बीघा 4 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करते हुए उसमें सम्मिलित कर दिया गया है, जिससे राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी का रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा अर्थात् हाल जरीब के अनुसार 18 बीघा 9 बिस्वा होना चाहिये था जो नहीं होकर 17 बीघा 4 बिस्वा ही है। खसरा संख्या 2139 का रकबा 1 बीघा का इन्द्राज गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया गया है, जिसे वह अपने नाम करवाने के अधिकारी है। अपीलार्थी को खसरा संख्या 2139 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा से बार-बार धारा-91 की कार्यवाही कर बेदखल करने की धमकी दी जा रही है। अतः उक्त विवादित भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि की लगती हुई भूमि में सम्मिलित मानी जाये। खसरा संख्या 2529/2140 पर प्रत्यर्थी संख्या 2 ने कब्जा कर रखा है, अतः उसे बेदखल किया जाये।

प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा योग्य विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) भीलवाडा ने अपने निर्णय व डिक्री

दिनांक 26–8–1991 द्वारा वादीगण का वाद अंशतः डिक्री करते हुए खसरा संख्या 2529/2140 बाबत् प्रत्यर्थी संख्या–2 को अतिक्रमी ठहराते हुए उसे बेदखल कर दिया एवं खसरा संख्या 2139 बाबत् वादीगण का वाद अस्वीकार कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के यहां प्रस्तुत किये जाने पर योग्य अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 04–05–1994 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए वाद पुनः निर्णय हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। तत्पश्चात् योग्य विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–07–2003 द्वारा अपीलार्थीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर पुनः न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे योग्य अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 02–12–2004 द्वारा अपीलार्थीगण की अपील अस्वीकार कर खारिज कर दी गई।

अपीलार्थीगण द्वारा योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–07–2003 एवं योग्य अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02–12–2004 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं रेकार्ड से विपरीत होने से निरस्तनीय है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अपीलार्थी खसरा संख्या 1171/1 व 1171/2 मिन कुल रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा के खातेदार है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार इनके हाल खसरा संख्या 2131, 2138, 2527/2130, 2528/2128, 2529/2140 व 2139 कायम हुए एवं गैर मुमकिन रास्ता अपीलार्थीगण की भूमि से लगता हुआ भाग ही रहा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को साक्ष्य से यह देखना था कि खसरा संख्या 2139 जो कि गैर मुमकिन रास्ता है, उसका बन्दोबस्त से पूर्व कुल रकबा कितना था एवं हाल रकबा कितना बडा है, हाल जरीब के अनुसार

अपीलार्थी द्वारा धारित कृषि भूमि का रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा की बजाय 18 बीघा 4 बिस्वा हो गया, उसी माफिक पूर्व में गैर मुमकिन रास्ता भी रहा तो अपीलार्थी का रहा। अपीलार्थीगण के पास 18 बीघा 1 बिस्वा भूमि नहीं होकर 17 बीघा 4 बिस्वा है, जबकि 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ता में सम्मिलित कर दी गई। प्रतिवादी राज्य सरकार ने न तो कोई जवाबदावा पेश किया और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है। जबकि अपीलार्थीगण ने मिलान क्षैत्रफल प्रस्तुत कर यह साबित कर दिया था कि उसका 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ता में दर्ज हो गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने ट्रेस मेप प्रस्तुत नहीं किये जाने के अभाव में वादीगण का वाद अस्वीकार कर दिया जो कोई महत्व नहीं रखता है। आगे यह भी निवेदन किया कि खसरा संख्या 2529/2140 के बारे में अब कोई विवाद नहीं है और न ही प्रत्यर्थी संख्या 2 से कोई अनुतोष अपीलार्थी चाह रहे है। यह अपील केवल खसरा संख्या 2139 से संबंधित है। अंत में प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को अपास्त किया जाकर, भूमि खसरा संख्या 2139 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का खातेदार अपीलार्थीगण को घोषित करते हुए इस हद तक रकबे को गैर मुमकिन रास्ता से हटाया जाकर अपीलार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा।

4– इसके विरोध में राज्य सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले राजकीय अधिवक्ता का निवेदन रहा कि हाल खसरा संख्या 2139 राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज है, जिसमें अपीलार्थीगण के साबिक खातेदारी का कोई रकबा मिलना नहीं पाया जाता है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाये।

अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–2 का कथन रहा कि उसके विरूद्ध खसरा संख्या 2528/2140 बाबत् पूर्व में जारी बेदखली की डिक्री को राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी संख्या–2 के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

5– उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण ने साबिक खसरा संख्या 1171/2 व 1171/2 मिन का स्वयं को खातेदार होना बताते हुए योग्य विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर इनसे बनने वाले हाल खसरा संख्या 2131, 2138, 2527/2130, 2528/2128, 2529/2140 की खातेदारी प्राप्त कर लेना तथा साबिक आराजी का 1 बीघा रकबा हाल आराजी खसरा संख्या 2139 किस्म रास्ते में मिलना बताया है तथा उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार की घोषणा हेतु अनुतोष चाहा है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में ऐसा कोई सुदृढ साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उसके कथनों की पुष्टि होती हो। अपीलार्थीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में केवल मात्र बन्दोबस्त के बाद के हुए ट्रेस की नकल पेश की है एवं प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस में बताये गये खसरा संख्या 2139 में सम्मिलित 1 बीघा रकबे को स्वयं का होना बताया है, किन्तु अपीलार्थीगण ने साबिक ट्रेस जिसका संबंध साबिक खसरा संख्या 1171 से रहा है, पेश नहीं किया है एवं ना ही अपीलार्थीगण द्वारा बन्दोबस्त से पूर्व के समस्त रेकार्ड को प्रस्तुत किया है। अपीलार्थीगण मिलान क्षैत्रफल के आधार पर विवादित भूमि को अपनी खातेदारी भूमि के समीप होने के कयास मात्र के आधार पर इसकी खातेदारी की घोषणा चाह रहा है, जो पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुकूल नहीं होकर विधि की मंशा के विपरीत है, जबकि अपीलार्थीगण का यह दायित्व है कि वह अपने अभिकथनों को पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय के समक्ष साबित करें, जिसे वह हस्तगत प्रकरण में साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील समुचित दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

6– परिणामतः हस्तगत अपील सारहीन होने से एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ

न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य

(डॉ. श्रवण कुमार बुनकर)
सदस्य